राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड़

(भारत सरकार का उपक्रम)
केन्द्रीय राज्य फार्म,सूरतगढ़
जिला श्रीगंगानगर (राज.)
01509-220006. 223877 (ऑफिस)
फैक्स-01509220061. 223877 (ऑफिस)

-: निविदा सूचना :-

केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.) में वर्ष 2018-2019 में किये जाने वाले कृषि कार्य करने हेतु सीलबंन्द निविदायें दिनांक 10.04.2018 को सांय 2.30 बजे तक आमत्रित की जाती है जो कि सांय 3.00 बजे खोली जायेगी। धरोहर राशि रूपये 10100/- मात्र का डी.डी. प्रत्येक चक के लिए जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड सूरतगढ के नाम देय हो, जमा कराना होगा। निविदा प्रपत्र एवम् कार्य के नियम व शर्तें निगम की वेब साईट **www.indiaseeds.com** *से भी डाउनलोड की जा सकती है । निविदादाता को पेन नं. व स्थाई पते की प्रति देनी होगी। निविदा के नियम एवं शर्तो की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती हैं।*

प्रबन्धक (उत्पादन)

Particulars	Details
Date of issue of NIT	25.03 .2018
Tender Document Download Start Date/time Tender Document Download End Date/time	25.03 .2018 -9.30 AM 10.04.2018 2.30 PM
Date and time for submission of of line bid	25.03 .2018 9.30 AM 10.04.2018 2.30 PM
Date and time of opening of Technical Bid .& Tender	10.04.2018 2.30 PM
Tender Fee(To be deposited through D.D.)	Rs 100.00 (One hundred Only)
EMD (To be deposited through D.D.)	Rs 10,000.00 Each (Ten Thousand Only Each Ckak)
Address for Communication	DGM (Farm) Central State Farm, Suratgarh National Seeds Corporation Ltd- 335804
Contact Person (with Phone No & E-Mail)	Gajanand Singh Manager (P) 8239107997 e-mail ID ago.csfsuratgarh@gmail.com

कृषि कार्यों को करने के लिए नियम व शर्ते

निविदा दाता/बोलीदाता को रूपये 1010/— मात्र प्रत्येक चक का डीडी जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़ में धरोहर राशि के रूप में जमा कराने होगे जो कि कार्य सन्तोषजनक ढ़ग से पूरा होने के बाद बिना व्याज के लौटा दी जायेगी ।

कार्य नः 1 :— खालों की डिसिल्टिंग करना व घास निकालना व पटरी की सफाई करना।

1. फावडों का इन्तजाम स्वंय ठेकेदार को करना होगा ।

2. खालों की सफाई दोनों किनारों की पटरी सहित सफाई करके घास तथा मिटटी खाले से बाहर डालनी होगी खाले के अन्दर की मिटटी निकालने का कार्य खेतो के लेवल के अनुसार करना होगा ।

3. खाले के अन्दर की मिट्टी को बट पर डालनी होगी तथा लेवल करना होगा व व पटरी की सफाई भी करनी होगी।

कार्य नः 2 :— पलेवा व पानी लगाना / सिंचाई करना ।

1. फावडों का इन्तजाम स्वंय ठेकेदार को करना होगा ।

2. फसलों में बटों की मरम्मत स्वंय करनी होगी तथा प्रत्येक पटरे के कट बंद करके पानी अलग—अलग पटरे वाईज लगाना होगा।

3. सिंचाई करते समय क्यारियों के उस भाग का ध्यान रखना होगा जिससे पानी वहॉ पहुॅच सके व जहॉ कही भी आवश्यक होगा वहॉ ऊॅची टिकरियों पर पानी हत्थे द्वारा उठाकर फेंकना होगा । बुवाई के बाद फार्म ट्रैक्टर से डाली गयी बट के कट को जोडना।

कार्य नः 3 :—यूरिया खाद , डी.ए.पी. व जिप्सम का छिडकाव करना।

1. खाद की मात्रा चक प्रभारी से पूछ कर प्रति एकड के हिसाब से क्रोसिंग में दो बार में छिडकनी होगी ।

2. खाद छिडकते समय फसल का कोई भी हिस्सा नही छूटना चाहिए जिससे खाद सामान मात्रा में हर जगह पड सके ।

3. खाद छिडकनें के लिए फार्म के प्लासटिक के थैलों की झोलियां स्वंय ठेकेदार को बनानी होगी।

कार्य नः4 व 5 :— फसलों में कीटनाशक व खरपतवार नाशक का स्प्रे व डसटिंग करना

1. स्प्रे करनें वाले श्रमिकों को अपने हाथ से व पीठ पर लादकर चलने वाली मशीन का इन्तजाम स्वंय करना होगा ।

2. स्प्रे व डसटिंग करनें के लिए मुरब्बा नम्बर, दवाई व पानी की मात्रा चक प्रभारी से पूछकर करनी होगी ।

3. एक ही जगह पर ज्यादा मात्रा में खाद एवं दवाई छिडकनें पर यदि फसल को किसी प्रकार का नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई के लिए अधिकारियों की कमेटी जो भी निर्णय करेगी उसकी रकम ठेकेदार के बिल से काट ली जायेगी ।

4. दवा के दुरुपयोग व चोरी के लिए ठेकेदार स्वंय जिम्मेवार होगा तथा हरजाने की रकम ठेकेदार के बिल से काट ली जायेगी ।

कार्य नः 6:– फसलों में रोगिंग करना।

1. रोगिंग के समय फसल से अवांछित पौधे उखाडनें होंगे व उन्हे चक प्रभारी के आदेशानुसार रखना होगा ।

2. कार्य चक प्रभारी से पूछ कर करना होगा ।

कार्य नः 7 :– चना, उरद, मूँग, ग्वार आदि फसलों में कसोलो द्वारा गुडाई करना।

1. मजदूरों व कसोलो का इन्तजाम स्वंय ठेकेदार को करना होगा ।

2. फसल की सारी घास अच्छी तरह निकालनी होगी।

कार्य नः 8:– चना, उरद व मूँग या अन्य फसलों में हल से गुड़ाई करना।

1. ठेकेदार को हल का इन्तजाम स्वयं करना होगा।

2. गुड़ाई के समय फसल में किस प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए।

3. कार्य सही व समय पर पूरा करना होगा। यदि किसी प्रकार का नुकसान हुआ तो उसके बिल से कटौती की जायेगी।

कार्य नः 9 :– चना, धान व अन्य फसलों का उत्पादन विनोईंग सेन्टर पर सुखाना।

1. चना, धान व अन्य फसलों के उत्पादन को सुखाने के लिए मजदूरों का इन्तजाम स्वंय ठेकेदार को करना होगा ताकि उत्पादन की नमी या बथुआ आदि से किसी प्रकार का नुकसान न हो ।

2. मौसम खराब होनें पर चना, धान व अन्य उत्पादन के ढेर बनाकर उन्हे तिरपाल द्वारा ढकना।

कार्य नः 10 :– बिजाई हेतु बीज उपचारित करना।

बिजाई के समय खरीफ व रबी फसलों की बिजाई के लिए बीज उपचारित करने के लिए पर्याप्त श्रमिक लगाने होगे तथा बीज उपचारित करते समय किसी श्रमिक को दवा का असर होने पर उसका ईलाज आदि कराना ठेकेदार की जिम्मेवारी होगी। फार्म इसके लिए कतई जिम्मेवार नहीं होगा।

कार्य नः 11 :– बीज, खाद फार्म वाहन में लादना व उतारना।

बिजाई के समय बीज व खाद को फार्म वाहन में लादने व उतारने के लिए ठेकेदार को पर्याप्त श्रमिक लगाने होगे तथा खाद भी आवश्यकतानुसार लोड अनलोड करना होगा।

कार्य नः 12 :– धान की नर्सरी आदि डालना।

धान की नर्सरी की क्यारियों में बीज मापदण्ड के अनुसार बीज का छिड़काव करना होगा। एक ही जगह पर ज्याद मात्रा में बीज छिडकने से जो भी क्षति होगी वह ठेकेदार के बिल से काट ली जायेगी।

कार्य नः 13 :– धान की नर्सरी उखाडना व धान लगाना।

1. धान की नर्सरी ठेकेदार द्वारा उखाडना तथा व उन्हें चक प्रभारी के बताये गये तुरब्बों में लगाना
2. प्रति स्कायर मीटर में 30 पौधों से कम पौधे होनें पर ठेकेदार के बिल से कटौती काट ली जायेगी ।
3. पर्याप्त मात्रा में मजदूरों का इन्तजाम ठेकेदार को करना होगा ताकि धान समय पर लगाया जा सके।

कार्य नः 14 :– धान से घास निकालना।

1. घास अच्छी तरह जड से निकालनी होगी ।
2. घास को दरांती से नहीं काटे क्योंकि दरांती से कटा हुआ घास पुनः हो जाता है। घास को जड से न निकालने एवं दरांती से काटने पर उसके बिल से कटौती की जायेगी ।
3. कार्य सही व समय पर पूरा करना होगा।

कार्य नः 15 :– उडद, मूँग व ग्वार आदि की कटाई करना।

उडद, मूँग व ग्वार आदि फसलों की कटाई के लिए पर्याप्त श्रमिक, दरांती आदि की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी तथा कटाई के बाद फसल इक्कट्ठा करना, कम्बाईन में झुकाई करना तथा खलिहान साफ करना होगा। थ्रैसिंग के समय यदि किसी श्रमिक के साथ कोई दुर्घटना होने पर ठेकेदार की पूर्ण जिम्मेवारी होगी।

कार्य नः 16 :– फील्ड से गिरे पेड/लकडी विनाईंग सेन्टर पर लगाना।

1. पेड/लकडी की कटाई के लिए के मजदूरों का इन्तजाम ठेकेदार को करना होगा।

2. लकडी ढुलाई के लिए श्रमिक व वाहन ठेकेदार के होंगे ।

3. लकडी फील्ड में लादना व विनाईंग सेन्टर पर उतारना इसके लिए क्षमिक ठेकेदार के होगें।

4. जलाऊ व इमारती लकड़ी को अलग–अलग लाना होगा तथा खलिहान पर उतारते समय भी इमारती व जलाऊ लकड़ी का ढ़ेर अलग–अलग लगाना होगा।

कार्य नं0 17 :– बिजाई से छूटे हुए कोनों की कस्सी से गुडाई करना तथा बिजाई करना।

1. जुताई के समय छूटे हुए ऐरिया की गुड़ाई कस्सी से ठेकेदार को करनी होगी।

कार्य नं0 18 :– फसल बिजाई के समय सीड ड्रील पर बिजाई करवाना।

1. बीजाई के समय फार्म की सीड ड्रील से बीजाई करवाना।

कार्य नं0 19 :– फसलों में डसटिंग करते समय माउण्टेड ट्रैक्टर पर श्रमिक लगाना।

1. डसटिंग करने के लिए मुरब्बा नम्बर, दवाई व पानी की मात्रा चक प्रभारी से पूछकर करनी होगी।

2. एक ही जगह पर ज्यादा मात्रा में दवाई छिड़कनें पर यदि फसल को किसी प्रकार का नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई के लिए अधिकारियों की कमेटी जो भी निर्णय करेगी उसकी रकम ठेकेदार के बिल से काट ली जायेगी।

3. दवा के दुरूपयोग व चोरी के लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा तथा हरजाने की रकम ठेकेदार के बिल से काट ली जायेगी।

कार्य नं0 20 :– कटाई के समय कम्बाईन से छूटे हुए क्षेत्र की कटाई/मोपिंग करना व बैकर अनलोड करना।

1. कटाई के समय कम्बाईन से छूटे हुए क्षेत्र की कटाई करने के लिए ठेकेदार को जरूरत के मुताबित श्रमिक लगाकर कार्य कटाई के साथ–साथ कराना होगा। मोपिंग की फसल को फार्म कम्बाईन में झुकाई कर थ्रैसिंग करनी होगी।

2. बंकर भरने पर फार्म वाहन में उत्पादन अनलोड करना होगा।

कार्य नं0 21 :– खण्ड़–तीन में बनी हुई डिग्गी से सिंचाई का करना।

फव्वारों से पानी लगाने के लिये मजदूर, फावड़े आदि ठेकेदार के होगें तथा पानी सुचारू रूप से लगाना होगा।

कार्य नं0 22 :— कपास व धान में बट बनाना।

1. फावड़ों का इन्तजाम स्वंय ठेकेदार को करना होगा ।

2. कपास व धान की बटों को अच्छी तरह से मजबूत बनाना होगा।

उपरोक्त सभी कार्यों के दौरान यदि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेवारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी।

सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा आवंटित कार्य को समय से पूरा न करने पर फार्म द्वारा कार्य को पूरा कराने पर किये गये श्रमिक मद पर अतिरिक्त खर्च के भुगतान की भरपाई ठेकेदार के बिल/धरोहर राशि/सिक्योरिटी बिल से कर लिया जायेगा।

उपरोक्त कार्यो में से सभी या आंशिक रूप में कोई भी कार्य स्वीकृत करने या रद्द करने का अधिकार फार्म निदेशक को होगा। उपरोक्त कार्यो में आये किसी भी विवाद का निवटारा खण्ड अधिकारी द्वारा प्राथमिक रूप से किया जायेगा और यदि उचित समझा गया तो फार्म निदेशक का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।

प्रबन्धक (उत्पादन)

कृते निदेशक

.षि कार्यो के लिए टेण्डर फार्मः—

1. खालों की डिसिल्टिंग करना व घास निकालना प्रति मीटर की दर से।

अ) खाले की सफाई करना व घास निकालना। प्रति मीटर की दर से।

ब) खाले की डिसल्टिंग करना। प्रति मीटर की दर से।

ग) मुख्य खाले की दोनों तरफ की पटरी बनाना, समतल करना, झीड़ियां काटना । प्रति मीटर

2. अ) फसलों के लिए पलेवा करना व प्रथम सिंचाई करना, प्रति एकड़ की दर से।

ब) द्वितीय व बाद की सिचाई करना दर प्रति एकड़।

3. मुरब्बों में कपास व धान में बट कसना। प्रति मीटर की दर से ।

4. यूरिया खाद, डी0ए0पी0 व जिप्सम का छिड़काव फार्म के ट्रेक्टर मशीन द्वारा करना प्रति एकड़ की दर से।....................तथा ठेकेदार द्वारा करना प्रति एकड.........................

5. फसलों में कीट नाशक दवाओं का स्प्रे करना, प्रति ढोलकी क्षमता 15 लीटर/प्रति ढ़ोलकी की दर से।

6. फसलों में रोगिंग करना, सिंचित ....व असिंचित ....प्रति एकड़ की दर से।

7. उड़द, मूंग चना व अन्य फसलों में कसोलों से गुड़ाई करना, ज्यादा घास मध्यम घास व कम घास की प्रति एकड़ की दर से।

8. चना व धान व आवश्यकतानुसार अन्य फसलों को विनोईग सेन्टर पर सुखाना, प्रति क्विटल की दर से।

9. धान की नर्सरी के लिए क्यारियां बनाना, बट बनाना, समतल करना, पानी में पाटा चलाना, धान की नर्सरी के लिए बीज डालना प्रति एकड़ की दर से.................. व मशीन से रोपाई के लिए पौध तैयार करना प्रति एकड़ की दर से।

10. धान की नार्सरी उखाड़ना व धान लगाना, एक स्क्वायर मीटर में करीब 30 पौधो से कम न हो। प्रति एकड़ की दर से।

11. धान में घास निकालना ज्यादा घास, मध्यम घास व कम घास, प्रति एकड़ की दर से।

12. उड़द, मूंग ग्वार, चना आदि फसलों की गुड़ाई हल से करना, प्रति एकड़ की दर से।

13. फार्म क्षेत्र में सूखें व गिरें हुए पेड़ो को काट–छांटकर अपने वाहन (ठेकेदार के) से विनोंईग सेन्टर पर लाना, जलाऊ व इमारती लकड़ी अलग–अलग ढ़ेरों में उतारना। प्रति क्विटल की दर से।

14. बिजाई हेतु बीज उपचारित करना प्रति क्विंटल की दर से।

15. बीज, खाद फार्म वाहन में लादना व उतारना प्रति क्विटल की दर से।

16. बथुआ में सें चना की दाल चूरी की सफाई करना प्रति क्विटल की दर से।

17. खलियान से आये हुए चने(पोड) की थ्रेसिंग थ्रेसर (ठेकेदार के) से करना प्रति क्विटल की दर से।

18. उरद, मॅूग व ग्वार आदि की कटाई/थ्रैसिंग करना। दर प्रति क्विण्टल जो फार्म से लेगा।

19. फसल की बिजाई के समय सीड ड्रील पर बिजाई करवाना तथा छूटे हुये कोनों की बिजाई बीजोपचार सहित................. करना। व बिना बीजोपचार सहित.दर प्रति एकड़ के आधार पर।

20. फसलों में स्प्रै करते समय ट्रैक्टर से जुड़े जैक्टो स्प्रैयर में पानी व दवा डालकर छिडकाव करना व फसलों के स्प्रै करते समय ट्रैक्टर से जुडे माउण्टेड स्प्रैयर पानी व दवा डालकर छिड़काव करवाना। दर प्रति एकड़ । (क) प्राईवेट ट्रैक्टर से बाहर से स्प्रे करना मजदूर सहित –

(ख) प्राईवेट ट्रैक्टर से खेत के अंदर, मजदूर सहित स्प्रे करना–

(ग) फार्म ट्रैक्टर से खेत के बाहर, मजदूर सहित स्प्रे करना –

(घ) फार्म ट्रैक्टर से जेक्टो व बूम पाईप मजदूर सहित स्प्रे करना–

21. कटाई के समय कम्बाईन से छूटे हुए क्षेत्र की कटाई/मोपिंग करना व बैकर अनलोड करना। दर प्रति एकड़।

22. खण्ड 3 में डिग्गी में पानी भरना तथा फव्वारों से सिंचाई करना। दर प्रति एकड़।

23. खड़े पेड़ों गर्थ नापना व नम्बरिंग करना। दर प्रति पेड–

24. फसलों में कीट नाशक दवाओं का श्रमिकों द्वारा छिड़काव करना । दर प्रति एकड–

25. फसलों में काचर बेल निकालना दर प्रति एकड–ए श्रेणी............बी श्रेणी............सी श्रेणी............

ठेकेदार के हस्ताक्षर

नाम ....

पता ....

....